



जिला ई-गर्वनेन्स सोसाइटी ,जिला बस्तर
// आदेश //

क्रमांक 108/36/चिप्स/2013-18

जगदलपुर दिनांक .06.2018

ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंतर्गत e-District Manager (संविदा) पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 16/01/2018 में प्राप्त मेरिट क्रम के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 06 में दर्शित कार्यालय में नीचे लिखे शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	एकमुश्त वेतनमान	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4	5	6
01	रविन्द्र सिंह	श्री स्वर्ण सिंह	सामान्य	23500/-	कार्यालय कलेक्टर ई-गर्वनेन्स सोसाइटी जिला बस्तर

संविदा नियुक्ति नियम 2012 की शर्तें निम्नानुसार लागू होगी:-

1. संविदा पद प्रतिमाह एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पेंशन इत्यादि की पात्रता नहीं होगी ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नियुक्ति कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, फेलोशिप प्रोग्राम की HR पॉलिसी में वर्णित छुट्टियों की पात्रता होगी। वर्ष में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 में शासित होंगे।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन/उपादान आदि की पात्रता नहीं होगी ।
6. संबंधित अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता

Ki
P

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन (परफार्मेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जावेगा ताकि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन के कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी0पी0एफ0 में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है ।
9. नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है, निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा नियुक्तकर्ता अधिकारी को देना होगा ।
11. संविदा अवधि के दौरान एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन (मानदेय) देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
12. सेवा के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे और न ही किसी राजनैतिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे ।

K.
कलेक्टर 51/118
जिला बस्तर

पृ0 क्रमांक 108/36/चिप्स/2013-18
प्रतिलिपि:-

जगदलपुर दिनांक .06.2018

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ0ग0शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
5. अपर कलेक्टर, एवं नोडल अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, जिला कार्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ ।
6. जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, एन0आई0सी0 बस्तर को सूचनार्थ ।
7. श्री रविन्दर सिंह पिता श्री स्वर्ण सिंह पता-शांति नगर वार्ड, गोयल धर्मशाला के बाजू में, राय गली, जगदलपुर जिला बस्तर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
8. चयनित अभ्यर्थी जिले में चल रही ई-डिस्ट्रिक्ट/स्वान/चिप्स की सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कर सरल क्रमांक 5 एवं 6 के अधिकारी को समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

K.
कलेक्टर
जिला बस्तर